

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 31.08.2023

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में, उ0नि0 मनोज वर्मा मय टीम द्वारा मु0अ0सं0 507/2023 धारा 363, 366 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित वांछित अभियुक्त राजन जायसवाल पुत्र विपीन जायसवाल निवासी सकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अभियुक्त राजन जायसवाल पुत्र विपीन जायसवाल निवासी सकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 507/2023 धारा 363, 366 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मनोज वर्मा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. का0 टीपू सुल्तान थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. का0 आशीष कुमार मौर्या थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

वापसी उ0नि0 व दाखिला एक नफर अभियुक्त संबंधित मु0अ0सं0 507/2023 धारा 363/366 भादवी -

मै उ0नि0 मनोज कुमार वर्मा चौकी प्रभारी धर्मशाला बाजार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर मय हमराह कां0 टीपु सुल्तान व कां0 आशीष मौर्या के खानाशुदा रफटा रफट रो0आम तारीखी से देख-भाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना, पेंडिंग एहकमात तालाश वांछित वारण्टी से मय गिरफ्तारशुदा एक नफर अभियुक्त 1. राजन जायसवाल पुत्र विपीन जायसवाल निवासी सकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर उम्र 19 वर्ष हुलिया गंदूम रंग, लंबा चेहरा, एकहरी मजबुत जिस्म, आँख,कान,नाक कद औसत के जेर निगरानी खुद व हिरासत हमराही कर्मचारीगण के उपस्थित थाना आया । अभियुक्त की बाद लिवाने मजीद जामा तलाशी समक्ष संतरी पहरा व न होने बरामद कोई शय अलवाना पहने हुए कपड़ो के जिस्म जरबात ताजा चोटो से पाक व साफ है गमे गिरफ्तारी खाना खाने से मुनकिर है । हस्व इच्छा खुराक दी जायेगी । अभियुक्त को अन्दर हवालात मर्दाना जो पहले से खाली व साफ है में रिहायशी कंबल देकर निरुद्ध काराया गया । विवरण कार्य सरकार इस प्रकार है आज दिनांक 31.08.2023 को मै उपनिरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण के देख-भाल क्षेत्र मे मामूर था कि मुखबीर खास ने आकर बताया की साहब आपके मुकदमा उपरोक्त से संबंधीत अभियुक्त अपने प्रेमिका से मिलने के इंतजार मे सुमेर सागर के पास खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है । मुखबीर खास के बात पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण को मकसद से अवगत कराते हुए आपस मे एक दुसरे की तलाशी लेकर न होने कोई अवैध वस्तु मुखबीर के बताये स्थान पर सिखलाई के तरीके से

पहुंचे तो वहा पर खड़ा व्यक्ति की तरफ मुखबीर खास ने इशारा करके बताया की साहब यही वह व्यक्ति है , मुखबीर हट बढ गया की हम पुलिस बल द्वारा एक वारगी दवीश देकर समय करीब 07.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति की जमा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो अपना नाम राजन जायसवाल पुत्र विपीन जायसवाल निवासी सकरौली थाना हाटा जनपद कुशीनगर उम्र करीब 20 वर्ष बताया अभियुक्त राजन जायसवाल उपरोक्त के गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसकी माँ नीतू के मो०नं० 8601873102 पर दिया गया ।